



म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय – संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी

छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं.- 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG016758

पत्र क्र. 1220 / 115 / हरई-बिजोरी / एमपीआरडीसी / 2022 छिंदवाड़ा, दिनांक 24/03/2022

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
पूर्व छिन्दवाड़ा (सा.),
वनमंडल छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय:- छिंदवाड़ा जिले के अन्तर्गत शासन की एडीबी-6/7 योजना अंतर्गत स्वीकृत हरई-बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) कुल लंबाई 72.73 कि.मी. के उन्नयन कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 हेक्टेयर वनभूमि के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 222 छिंदवाड़ा, दिनांक 20/01/2022।

उपरोक्त विषयांगत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम के अन्तर्गत छिंदवाड़ा जिले के अन्तर्गत शासन की एडीबी-6/7 योजनांतर्गत हरई-बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) कुल लंबाई 72.73 कि.मी. का उन्नयन कार्य स्वीकृत है। वर्तमान में मुख्यालय भोपाल द्वारा निविदा की कार्यवाही प्रचलित है। मार्ग उन्नयन कार्य हेतु वनक्षेत्र की 6.372 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है, जिसकी स्वीकृति हेतु आनलाईन प्रकरण पृविष्टि का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकरण में कमियों का विवरण	टीप
1	वनाधिकार अधिनियम 2006 मान्यता अधिनियम 2008 के अन्तर्गत विनिश्चयन संबंधी कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें।	प्रमाण पत्र हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 25/02/2021 को आवेदन किया गया है, वर्तमान में प्रक्रियाधीन है (संलग्न)।
2	प्रस्तावित मार्ग निर्माण में राजस्व वनभूमि तो प्रभावित नहीं हो रही है, इस संबंध में तहसीलदार हरई का प्रमाण पत्र।	प्रमाण-पत्र संलग्न।
3	प्रभावित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि 6.372 हे. भूमि जो वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई है। उक्त भूमि का उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें साथ ही पी-2 फार्म खसरा, नक्शा की प्रति भी संलग्न करें।	उक्त भूमि का उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी तामिया से संपर्क किया गया एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उपयुक्तता प्रमाण पत्र वन विभाग जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा में प्रेषित किया गया है। पी-2 फार्म खसरा, नक्शा की प्रति संलग्न।
4	प्रभावित वनक्षेत्र की KML फाईल एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की KML फाईल की साफ्ट कॉपी भी प्रस्तुत करें।	संलग्न।
5	FCA के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्ताव पार्ट 1 को अनुमोदित कर प्रस्तुत करें।	संलग्न।
6	प्रकरण में पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 6000/- वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल के नाम बैंक ड्राफ्ट या डीडी के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें।	संलग्न।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।



संभागीय प्रबंधक
एमपीआरडीसी छिंदवाड़ा



म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय - संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी
छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं.- 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG01675

पृष्ठा. क्र. 122 / 115 / हरई-विजोरी / एमपीआरडीसी / 2022 छिंदवाड़ा, दिनांक 24 / 03 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (ए.डी.बी.-6/7), एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री दिलीप सिंह तेकाम, सहायक महाप्रबंधक/श्री आर.के. सोनी, प्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी. छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मेसर्स हाईवे इंजीनियरिंग कन्सलटेंट कन्स्ट्रोलियम ब्रिक्स इंजीनियरिंग कन्सलटेंट एण्ड टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।



१८ संभागीय प्रबंधक



म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय - संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी
छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं. 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG016758

पत्र क्र. 1218 / 115 / हरई-बिजोरी / एमपीआरडीसी / 2022 छिंदवाड़ा, दिनांक 24/03/2022
प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम छिन्दवाड़ा,
वनमंडल छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय:- छिंदवाड़ा जिले के अन्तर्गत शासन की एडीबी-6/7 योजना अंतर्गत स्वीकृत हरई-बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) कुल लंबाई 72.73 कि.मी. के उन्नयन कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 हेक्टेयर वनभूमि के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/4910 छिंदवाड़ा, दिनांक 29/12/2021।

उपरोक्त विषयांगत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम के अन्तर्गत छिंदवाड़ा जिले के अन्तर्गत शासन की एडीबी-6/7 योजनांतर्गत हरई-बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) कुल लंबाई 72.73 कि.मी. का उन्नयन कार्य स्वीकृत है। वर्तमान में मुख्यालय भोपाल द्वारा निविदा की कार्यवाही प्रचलित है। मार्ग उन्नयन कार्य हेतु वनक्षेत्र की 6.372 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है, जिसकी स्वीकृति हेतु आनलाईन प्रकरण पृविष्टि का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकरण में कमियों का विवरण	टीप
1	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत विनिश्चयन संबंधी कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा का प्रमाण-पत्र की प्रति के संलग्न करे।	प्रमाण पत्र हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 25/02/2021 को आवेदन किया गया है, वर्तमान में प्रक्रियाधीन है (संलग्न)।
2	प्रभावित वन क्षेत्र की के.एम.एल. फाईल एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की के.एम.एल. फाईल की साफ्ट कापी में प्रस्तुत करें।	संलग्न।
3	प्रस्ताव में संलग्न पार्ट-1 में हस्ताक्षर कर प्रेषित करें एवं प्रस्ताव 6-6 प्रतियों में प्रस्तुत करें।	संलग्न।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

६

संभागीय प्रबंधक

एमपीआरडीसी छिंदवाड़ा

पृष्ठा. क्र. 1219 / 115 / हरई-बिजोरी / एमपीआरडीसी / 2022 छिंदवाड़ा, दिनांक 24/03/2022

प्रतिलिपि:-

- मुख्य अभियंता (ए.डी.बी.-6/7), एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्री दिलीप सिंह तेकाम, सहायक महाप्रबंधक/श्री आर.के. सोनी, प्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी. छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- मेसर्स हाईवे इंजीनियरिंग कन्सलटेंट कन्ट्रोलियम ब्रिक्स इंजीनियरिंग कन्सलटेंट एण्ड टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

६

संभागीय प्रबंधक